न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 54/2017 **दायरा दिनांक : 11.04.2014**

उनवान

1— प्रभूलाल आत्मज श्री गोपाल, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— धन्नालाल पुत्र गोपाल, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— रामचरण पुत्र जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— श्रीपाल पुत्र जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मांगीलाल पुत्र गोपाल दत्तक पुत्र रामचन्द्र मीणा, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

1/1— जमनालाल आत्मज मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/2— राधेश्याम आत्मज मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/3— शोभागमल आत्मज मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/4— रामकुंवार आत्मज मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/5— रामहेत आत्मज मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/6— बनवारी लाल आत्मज मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/7— चन्द्रप्रकाश आत्मज मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/8— भीमराज आत्मज मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/9— सुल्तान बाई पुत्री मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/10— कलावती पुत्री मांगीलाल, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— केदार पुत्र गोपाल दत्तक पुत्र रामचन्द्र मीणा, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— जगन्नाथ पुत्र गोपाल दत्तक पुत्र रामचन्द्र मीणा, जाति मीणा, निवासी भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— राजस्थान सरकारक जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री रमाकांत लोहिया अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 19.11.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 40/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व पत्रावली के तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद सरसरी तौर पर खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है, उन्हें साक्ष्य लेकर वाद का निस्तारण करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने में भारी भूल की है कि इंतकाल नम्बर 185 की अपील नहीं करने से धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पोषनीय नहीं है जबकि कानूनी स्थिति इस प्रकार से है कि इंतकाल की कार्यवाही फिसकल कार्यवाही है । पक्षकारों के अधिकार धारा 88, 89 के वाद में ही तय किये जाते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 16.04.1993 की ओर कतई ध्यान नहीं दिया है जिसमें गोपाल ने अपने हिस्से की आधी आराजी रकबा 4.02 हेक्टर की वसीयत अपीलांट के पक्ष में कर दी थी इसलिए वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को खातेदार कृषक घोषित करना चाहिए था । उक्त प्रकरण के निर्णय दिनांक 22.06.2016 को अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन कर दिया था और उन्होंने निर्णय की सूचना अपीलांट को नहीं दी थी । अपीलांट द्वारा दिनांक 01.03.2017 को रेस्पोडेंट क्रम 1 की मृत्यु हो जाने के कारण कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर दिनांक 15.03.2017 नियम की गई और दिनांक 15.03.2017 को न्यायालय द्वारा यह बताया गया कि उक्त वाद का निर्णय दिनांक 22.06.2016 को खारिज हो गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर वादग्रस्त आराजी का अपीलांट को खातेदार कृषक घोषित किया जावे व निषेधाज्ञा जारी की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.03.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवायी व साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, जो सी पी सी के प्रावधानों के विपरीत है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारों को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.02.2020 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा